भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2633
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

2633 श्री अयोध्या रामी रेड्डी आलाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को किस प्रकार इष्टतम बनाया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन लाभ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा दिए गए योगदान के अनुरूप हों;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करते हुए पेंशन योजना के ले आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं; और

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है ताकि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की ट्रैकिंग और उनका सत्यापन कुशलतापूर्वक किया जा सके?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दिनांक 15.08.2016 को संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मौजूदा महंगाई राहत प्रणाली, जो अब तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पर वार्षिक आधार पर लागू होती थी, को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू वर्ष में दो बार की महंगाई भत्ता प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित लाभ भी दिए गए हैं:

(i) स्वतंत्रता सेनानियों/जीवनसाथी को एक साथी के साथ उसी श्रेणी में दुरंतो ट्रेन में द्वितीय/तृतीय श्रेणी एसी, राजधानी/शताब्दी सहित किसी भी ट्रेन में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी के आजीवन निःशुल्क रेलवे पास प्रदान किए जाते हैं।

राज्य सभा अता. प्र.सं. 2633 दिनांक 18.12.2024

(ii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को केंद्र सरकार सवास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है।

(iii) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए एक साथी के साथ राज्य भवन, नई दिल्ली में भोजन के साथ निःशुल्क ट्रांजिट आवास की सुविधा उपलब्ध है।

(iv) कलेक्टरों/एसडीएम को स्वतंत्रता सेनानियों की कुशलक्षेम के बारे में नियमित रूप से पूछताछ करने और उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ख) और (ग): स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों हेतु निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पेंशन योजना हेतु आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात आश्रितों द्वारा पेंशन के हस्तांतरण हेतु बैंकों में आवेदन देने करने की अवधि को छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है।

(ii) पात्र आश्रितों को आश्रित पेंशन की स्वीकृति/हस्तांतरण की तिथि को "आवेदन की तिथि" से संशोधित कर "पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि" कर दिया गया है।

(iii) पेंशनभोगियों के लिए बैंकों में अपना जीवन प्रमाण-पत्र वर्ष में दो बार के स्थान पर वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iv) बैंकों को वर्तमान में लागू 01 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष तक, जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने/प्रस्तुत न करने के कारण बंद पेंशन को पुनः प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(v) "जीवन प्रमाण पोर्टल" के माध्यम से आधार से जुड़े जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है।

(vi) स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को जीवन प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

(vii) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कारगर ट्रैकिंग और सत्यापन को सक्षम बनाने हेतु अद्यतन जानकारी एकत्रित करने के लिए "अपने स्वतंत्रता सेनानी/परिवार को जानें (केवाईएफएफ/एफ)" फॉर्म शुरू किया गया है।

*****